



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

डॉ. राजेश्वर सिंह
सहायक कुलसचिव/कार्यकारी कुलसचिव
Dr. Rajeshwar Singh
Assistant Registrar/Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2011/262-19/2023
दिनांक : 17.04.2023

कार्यालयादेश

पश्चिम बंगाल राज्य में चल रही लू (Heat Wave) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, विश्वविद्यालय अनुभाग, कोलकाता द्वारा निर्गत आदेश No. 356-Edn(U) दिनांक 16.04.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता की सभी कक्षाएँ दिनांक 17.04.2023 से आगामी एक सप्ताह तक ऑनलाइन संचालित होंगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(कुलसचिव)

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
ऐकतान, आईए-290, सेक्टर-3, साल्टलेक
कोलकाता-700097

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. मा. कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ।
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक
4. वित्ताधिकारी कार्यालय
5. प्रभारी लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. संबंधित पत्रावली
7. रक्षित पत्रावली।